प्रश्न सं. [क्र. 210]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 210 के प्रश्नांश (ग) का परिशिष्ट–अ

- **नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयों की स्थापना :–** नवजात शिशु मृत्यु को रोकने के लिए प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाईयों की स्थापना की गई है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को भर्ती कर विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं नर्स के द्वारा त्वरित उपचार किया जाता है। भर्ती बच्चों का एक वर्ष तक संस्थागत फॉलोअप किया जाता है। वर्तमान में 55 इकाईयाँ संचालित हैं।
- **नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयों की स्थापना :–** चिन्हित सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयों की स्थापना की गई है। वर्तमान में 62 इकाईयाँ संचालित हैं। इन इकाईयों में नवजात शिशु को भर्ती कर उपचारित किया जाता है, एवं नवजात शिशु का स्थिरीकरण कर आवश्यकतानुसार उच्च संस्था पर रैफर किया जाता है।
- **प्रसव केन्द्रों पर न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर की स्थापना** की गई है। यहां नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित नर्स द्वारा बच्चे को उपचारित किया जाता है एवं आवश्यकता होने पर उच्च संस्था पर रैफर किया जाता है।
- **परिवार केन्द्रित देखमाल** अंतर्गत शिशु के स्थिरीकरण के पश्चात माता/परिजनों को नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में प्रवेश प्रक्रिया का पालन करते हुए नवजात शिशु की देखभाल में दक्ष किया जाता है। माँ/परिजनों को शिशु को उठाना, दूध पिलाना, कंगारू पद्धति से देखभाल करना, शिशु की सफाई करना इत्यादि सिखाया जाता है। परामर्श पश्चात मातायें बीमार शिशु की देखभाल में स्वयं को सक्षम महसूस करती हैं तथा घर पर नवजात शिशु की बेहतर देखभाल करती हैं।
- **पिडियाट्रिक इमरजेन्सी ट्रायऐज एवं ट्रीटमेंट यूनिट:–** गंभीर रूप से बीमार बच्चों के जिला चिकित्सालय पहुँचने पर Point of Use पर आवश्यक उपकरण, दवाईयाँ, सामग्री एवं प्रशिक्षित चिकित्सक/स्टाफ नर्सेस तत्काल उपचार प्रदान करने हेतु उपलब्ध होते हैं।
- **बाल्य गहन चिकित्सा इकाई :–** प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को त्वरित उपचार प्रदान करने हेतु 19 इकाईयाँ (5 चिकित्सा महाविद्यालय एवं 15 जिला चिकित्सालय) स्तर पर बाल्य गहन चिकित्सा इकाईयों का संचालन किया जा रहा है।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना :–** कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उपचार प्रदान करने हेतु प्रदेश में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को 14 दिवस तक उनकी माता के साथ भर्ती कर उपचारित किया जाता है एवं केन्द्र से डिस्चार्ज उपरांत बच्चे को पुनः कुपोषण से बचाने के लिए माता को बच्चे के उचित खान–पान, साफ–सफाई आदि के बारे में परामर्श दिया जाता है। डिस्चार्ज उपरांत बच्चे के प्रति 15 दिवस के अंतराल से 4 फॉलोअप किये जाते हैं। फॉलोअप के दौरान बच्चे की केन्द्र पर पुनः जांच की जाती है।
- **दस्तक अभियान :–** समुदाय में जनसमुदाय को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष दस्तक अभियान प्रारंभ किया गया है। शासन द्वारा प्रति 6 माह में यह अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान अंतर्गत बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती हैं :–
    1. 5 वर्ष से कम उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन।
    2. 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर एनीमिया की सक्रिय स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन।
    3. 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन–ए अनुपूरण।
    4. 5 वर्ष से कम उमें के बच्चों में शैशव एवं बाल्यकालीन निमोनिया की त्वरित पहचान, प्रबंधन एवं रेफरल।
    5. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्तरोग के नियंत्रण हेतु ओआरएस एवं जिंक के उपयोग संबंधी समझाइश व प्रत्येक घर में ओआरएस पहुंचाना।
    6. गृहभेंट के दौरान आंशिक रूप से टीकाकृत व छूटे हुए बच्चों की टीकाकरण स्थिति की जानकारी लेना।
    7. समुचित शिशु एवं बाल आहारपूर्ति व्यवहार को बढ़ावा।

अनुभाग अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

8. कम वजन के नवजात शिशुओं की उचित देखभाल हेतु समुदाय में कंगारू मदर केयर पद्वति संबंधी जागरूकता।
9. एसएनसीयू एवं एनआरसी से छुट्टी प्राप्त बच्चों में बीमारी की स्क्रीनिंग तथा फॉलाअप को प्रोत्साहन।
10. बच्चों में दिखाई देने वाली जन्मजात विकृतियों की पहचान।
11. समुदाय में अभियान के दौरान बीमार नवजातों और बच्चों की पहचान, प्रबंधन एवं रेफरल।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :-** इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष तक की आयु के शिशुओं को निःशुल्क उपचार, आहार, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- **गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल :-** जन्म से 28 दिन की अवधि नवजात शिशु के लिये अत्यंत संवेदनशील समयावधि है। इस अवधि में शिशुओं की मृत्यु की सर्वाधिक संभावना होती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत प्रसव में 6 तथा घर पर प्रसव होने पर 7 गृहभेंट दी जाती है। जन्म के पश्चात् 1, 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42वें दिन आशा द्वारा गृहभेंट दी जाती है।
- **हाईरिस्क शिशु ट्रेकिंग फॉलोअप :-** शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु समुदाय में आशा द्वारा 3, 6, 9 एवं 12 माह की आयु में 2.5 किलो ग्राम से कम जन्म वज़न एवं एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज किये गये शिशुओं को गृहभेंट दी जाती है। टीकाकरण, स्वच्छता, दस्त में ज़िंक/ओ.आर.एस. का प्रयोग, निमोनिया की पहचान, स्तनपान, पूरक आहार तथा शिशु के विकास में संवाद का महत्व आदि विषयों पर जानकारी साझा की जाती है।

(डॉ. मनीष सिंह)
उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

परिशिष्ट–अ

विधानसभा प्रश्न कमांक–210

महिला एवं बाल विकास अन्तर्गत जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं को नियमानुसार पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुपोषण निवारण हेतु अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का कियान्वयन किया जा रहा है।

(महेन्द्र द्विवेदी)
संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय